रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1987/माघ 1, 1908
No. 24] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1987/MAGHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

अधिसूचना

का. आ. 25 (अ). —:—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 फ ख की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व

विभाग की दिनांक 24 सितम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या का. आ. 684 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की सारणी में "समुचित प्राधिकारी, मद्रास" से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने कालम 2 में मद संख्या (iii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(iii) श्री ओ. डी. मोहिन्द्रा,
मुख्य अभियन्ता ।"

[फा. सं. 316/48/86–डब्ल्यू. टी.]
ए. के. फोतेदार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 21st January, 1987

NOTIFICATION

S.O. 25(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 269-UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. S.O. 684(E), dated the 24th September, 1986, Namely :—

In the Table to the said notification against serial No. 4 relating to "Appropriate Authority, Madras", in column 2, for item (iii). the following item shall be substituted, namely :—

(iii) Shri O. D. Mohindra,
Chief Engineer".

[F. No. 316/48/86-WT]
A. K. FOTEDAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987